199

संख्या 1105/उन्तीस(2)/12–2(36पे0)/2010

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 19 सितम्बर, 2012

विषय– **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP)) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर लक्षमोली हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1799/उन्तीस(2)/10–2(36पे0)/ 2010 दिनांक 23.12.2010 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग एवं कीर्तिनगर की लक्षमोली हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को विवाद होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निरस्त करते हुए आपके पत्र संख्या 987/DPR-79(IV)/2011-12 दिनांक 24.01.2012 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत जनपद टिहरी की देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर की लक्षमोली हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना हेतु गठित पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 2374.32 लाख (सेन्टेज रहित) पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 495.28 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं ₹ 1685.47 लाख निर्माण कार्यो हेतु अर्थात् कुल ₹ 2180.75 लाख (₹ इक्कीस करोड़ अस्सी लाख पिच्चतर हजार मात्र) (सेन्टेज की धनराशि को छोडते हुए) वित्त व्यय समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नप्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) उक्त योजना हेतु मात्र प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(ii) प्रस्तावित पम्पिंग योजना के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पम्पिंग योजना ही अन्तिम विकल्प है।

(iii) यदि योजना में वन भूमि का हस्तान्तरण होना है तो वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाय।

(iv) योजना 03 वर्ष के न्यूनतम डिस्चार्ज पर ही निर्मित की जानी चाहिए।

(v) पूर्व निर्मित योजनाओं की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उसी क्षेत्र के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले सिविल कार्यो को यथावश्यक उनकी कार्य स्थिति के अनुरूप उपयोग किया जाय।

(vi) पूर्व निर्मित योजनाओं के अन्तर्गत डाले गये पाईपों का उनकी भौतिक स्थिति के अनुसार यथासम्भव उपयोग किया जाय।

.....2

(vii) Low voltage electricity के मध्यनजर पानी की निरन्तर एवं सुचारू व्यवस्था हेतु पम्पिंग प्लान्ट का डिजाइन Low frequency पर किया जाय।

(viii) पेयजल आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनायें दीर्घकालीन निदान एवं स्रोत रिचार्ज हेतु अन्य उपाय यथा चैक डैम, गली प्लागिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूर्व में निर्मित चाल–खाल पुनर्जीवित करने के कार्य अनिवार्य रूप से किये जाय।

(ix) योजना के स्रोत पर 08 घंटे श्राव के तुल्य स्टोरेज टैंक का निर्माण कर स्रोत में उपलब्ध 24 घंटे के श्राव को 16 घंटे में पम्प किया जाय।

(x) योजना पर funding भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की गाईड लाइन्स के अनुसार किस्तों में की जायेगी और इसके द्वारा किसी भी धनराशि के व्यय की स्वीकृति न देकर मात्र प्रशासकीय स्वीकृति ही दी जा रही है। विभाग के द्वारा व्यय वित्त समिति की संस्तुतिनुसार 03 वर्ष के फण्डिग पैर्टन की फॉट बनाकर तदनुसार ही फण्डिग सुनिश्चित की जायेगी।

(xi) योजना 03 वर्षों में पूर्ण कर ली जायेगी और किसी भी स्थिति में योजना में Escalation देय नहीं होगा। योजना के रखरखाव हेतु जल शुल्क सम्बन्धित ग्राम की पेयजल समिति द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा प्राप्त जल मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि श्रोत के वितरण जलाशयों के रखरखाव करने वाली एजेन्सी को दिया जायेगा।

(xii) श्रोत से विभिन्न जलाशयों तक का कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा कराया जायेगा तथा श्रोतो के आन्तरिक प्रणाली का कार्य सम्बन्धित ग्राम सभाओं के ग्राम पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वंय किया जायेगा।

(xiii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(xiv) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(xv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

(xvi) एक मुश्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(xvii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xviii) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भलीभॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xx) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

.....3

(xxi) व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(xxii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एंव कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(xxiii) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

(xxiv) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–285/XXVII (2)/2012 दिनांक 10 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 1105/उन्तीस(2)/12–2(36पे0)/2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
5. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
12. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव